रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML-2007.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 31 दिसम्बर, 2007 / 10 पौष, 1929

हिमाचल प्रदेश सरकार

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th December, 2007

No. GAD-C (CC) 1 (A)- 2/2007 .—The order of the Governor dated 30th December, 2007, appointing Shri Prem Kumar Dhumal as the Chief Minister of the State of Himachal Pradesh is published for general information:-

> "In pursuance of Article 164 (1) of the Constitution of India, I, V.S. Kokje, Governor of Himachal Pradesh, hereby appoint Shri Prem Kumar Dhumal to be the Chief Minister of the State of Himachal Pradesh."

V. S. KOKJE
Governor,
Himachal Pradesh.

He has subscribed to the oath of office and secrecy and has entered upon the duties of his office with effect from the forenoon of the 30th December, 2007.

RAVI DHINGRA,
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 22 दिसम्बर, 2007

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0 / 609B.– निम्नलिखित प्रारूप विनियम, जिन्हें हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 5 अप्रैल, 2004 में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 में और संशोधन करने हेतू विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 42 की उप–धारा (6) तथा (7) तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, एतदद्वारा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 तथा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (3) द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उनसे आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किए जाते हैं और एतदद्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीत्तर प्राप्त हुआ हो / हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2). ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होगें।

2. **विनियम 2 का सशोधन.–** हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 (जिन्हें इसमें "उक्त विनियम" कहा गया है) के विनियम 2 के खण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (4) प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

(4) ''शिकायतकर्ता'' का अर्थ है–

(क) नये संयोजनों के लिए आवेदकों सहित वह उपभोक्ता, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की हो;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयोजन काट दिया हो;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(घ) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित वाले बहुत सारे उपभोक्ता हों;

(ड.) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका विधिक वारिस अथवा प्रतिनिधि;''।

3. **विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा 12 का संशोधन.–** उक्त विनियमों के विनियम 7,8,9,10,11,12 तथा में शब्द ''व्यथित पक्षकार'' या ''व्यथित व्यक्ति'' या '' व्यक्ति'' जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द ''शिकायतकर्ता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. विनियम 11 का संशोधन.– उक्त विनियमों के विनियम 11 के उप–विनियम (4) में, शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द "वितरण अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. विनियम 12 का संशोधन.– उक्त विनियमों के विनियम 12 में उप–विनियम (3) में शब्द "पक्षकार" के स्थान पर शब्द **"**अनुज्ञप्तिधारी" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. विनियम 12–क का लोप.– उक्त विनियमों के विनियम 12–क का लोप किया जाएगा।

7. प्ररूप –क का संशोधन.– उक्त विनियमों के प्ररूप–क में शब्द ''उपभोक्ता'', जहां कहीं भी आया है, के स्थान पर शब्द '' शिकायतकर्ता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

8. प्ररूप 1–क का लोप.– उक्त विनियमों के प्ररूप–1–क का लोप किया जाएगा।

9. हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन) विनियम, में संशोधन.– हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (कारवार संचालन), 2005 विनियम, में.–

(क) विनियम 58 के उप–विनियम (1) में शब्द व चिन्ह ''अपील,'' का लोप किया जाएगा;

(ख) विनियम 59 में मद (6) का लोप किया जाएगा; तथा

(ग) अनुसूची में मद 13–क का लोप किया जाएगा।

आयोग के आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
सचिव।

———————

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd December] 2007

No. HPERC/609B.— In exercise of the powers conferred by sub-sections (6) and (7) of section 42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes to make the following draft regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 5th April, 2004, which are hereby published as required by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 and by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information all the persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla 71002.

DRAFT REGULATIONS

1. *Short title and commencement.*— (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) (Fourth Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of regulation 2.*— For clause (4) of regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations, 2004 (hereinafter called "the said regulations)", the following clause (4) shall be substituted, namely.-

"(4)" complainant" means—

(a) a consumer of electricity supplied by the licensee, including applicants for new connections;

(b) any person whose electricity connection is disconnected;

(c) a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force;

(d) one or more consumer, where there are numerous consumers having the same interest;

(e) in case of death of a consumer his legal heirs or representatives;"

3. *Amendment of regulations 7,8,9,10,11,12 and 13.*— In regulations 7,8,9,10,11,12 and 13 of the said regulations for the words "aggrieved party" or "aggrieved persons", or "Any person", or "persons", wherever these occur, the words "complainant" shall be substituted.

4. *Amendment of regulation 11.*— In sub-regulation (4) of regulation 11 of the said regulations, for the words "The parties to the proceedings will", the words "The distribution licensee shall" be substituted.

5. *Amendment of regulation 12.*— In sub-regulation (3) of regulation 12 of the said regulations for the words "the parties to the proceedings will", the words, "the licensee shall", be substituted.

6. *Omission of regulation 12-A.*— The existing regulation 12-A of the said regulations shall be omitted.

7. *Amendment of Form-I.*— In the existing Form-I to the said regulations for the word "Consumer" wherever it occurs, the word "Complainant" shall be substituted.

8. *Omission of Form I-A.*— The existing Form 1-A to the said regulations shall be omitted.

9. *Amendments in the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations,2005.—*

(a) in sub-regulation (1) of regulation 58, the word and sign coma "appeal," shall be omitted;

(b) in regulation 59, item (6) shall be omitted; and

(c) in the Schedule, item 13-A shall be omitted.

By order of the Commission,
Sd/-
Secretary.

———

विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 22 दिसम्बर, 2007

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0 / 609A.—हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग, राजपत्र (आसाधारण) हिमाचल प्रदेश दिनांक 24 अक्तूबर, 2003 के अंक में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) विनियम, 2003 में और संशोधन करने हेतु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 तथा धारा 42 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयागे करते हुए, निम्नलिखित प्रारूप विनियम बनाने का प्रस्ताव करता है, तथा उन्हें एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 181 की उप–धारा (3) तथा विद्युत (पूर्व प्रकाशन के लिए प्रक्रिया) नियम, 2005 के नियम 3 द्वारा यथोपेक्षित के अनुसार उन से आम प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह नोटिस (सूचना) दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर, इनके राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीस (30) दिन के अवसान पर किसी भी आक्षेप या सुझाव सहित, जो इस बावत उक्त अवधि के भीतर प्राप्त हुआ हो / हुए हों, विचार किया जाएगा।

इस निमित्त आक्षेप या सुझाव सचिव, हिमाचल प्रदेश, विद्युत विनियामक आयोग, क्योंथल कमर्शियल काम्पलेक्स, खलिनी, शिमला को सम्बोधित किए जाने चाहिए।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) (पंचम संशोधन) विनियम, 2007 है।

(2) ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) विनियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विनियम' कहा गया है) के विनियम 2 के खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड (7) प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

(7) ''शिकायतकर्ता'' का अर्थ है—

(क) नये संयोजनों के लिए आवेदकों सहित वह उपभोक्ता, जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय की हो;

(ख) ऐसा व्यक्ति जिसका विद्युत संयोजन काट दिया हो;

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या वर्तमान में लागू किसी भी अन्य काननू के अधीन पंजीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ; या

(घ) एक या अधिक उपभोक्ता, जहां समान हित वाले बहुत सारे उपभोक्ता हों;

(ङ) किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में, उसका विधिक वारिस अथवा प्रतिनिधि।

3. विनियम 13 का संशोधन.––उक्त विनियमों के विनियम 13 में आए शब्द ''कोई व्यक्ति'' के स्थान पर शब्द ''शिकायतकर्ता'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

4. प्रारूप–2 का संशोधन.––उक्त विनियमों के प्ररूप 2 की मद 6 में, संख्या तथा शब्द ''दो मास'' के स्थान पर संख्या तथा शब्द ''तीन मास'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता0 / –
सचिव।

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 22nd *December*, 2007

No. HPERC/609A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission proposes further to make the following draft regulations to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003, published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary), dated 24th October, 2003, which are hereby published as required by rule 3 of the Electricity (Procedure for Previous Publication) Rules, 2005 and by sub-section (3) of section 181 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected

thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh, together with any objections or suggestions which may within the aforesaid period be received in respect thereto.

The objections or suggestions in this behalf should be addressed to the Secretary, Himachal Pradesh Regulatory Commission, Keonthal Commercial Complex, Khalini, Shimla-71002.

DRAFT REGULATIONS

1. *Short title and commencement.*—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Fifth Amendment) Regulations, 2007.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. *Amendment of regulation-2.*—For clause (7) of regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations, 2003 (hereinafter called "the said regulations"), the following clause (7) shall be substituted, namely:—

"(7) "complainant" means—

(a) a consumer of electricity supplied by the licensee, including applicants for new connections;

(b) any person whose electricity connection is disconnected;

(c) a voluntary consumer association registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or under any other law for the time being in force;

(d) one or more consumer, where there are numerous consumers having the same interest;

(e) in case of death of a consumer his legal heirs or representatives;"

3. *Amendment of regulation 13.*—In regulation 13 of the said regulation, for the words "Any person", the words "Any complainant" shall be substituted.

4. *Amendment of Form-2.*—In item 6 of the Form-2 to the said regulations, the figure and word "2 months", the figure and word "3 months" shall be substituted.

By order of the Commission,
Sd/-
Secretary.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th December, 2007

No. Home-B (B)15-12/2006.—In exercise of the powers vested in him under Sub-Section (i) of the Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Bhagat Ram, Tehsildar and Shri Deep Raj Sharma, Naib- Tehsildar to be the Executive Magistrates with the powers of Executive Magistrate under the said code to be exercised within the local limit of Tehsil Jawali, District Kangra, with immediate effect, subject to the conditions as contained in the Home Department's Himachal Pradesh Government letter No. Home-B (B)-12-5/84 dated 4-12-84 & 28-12-84. They shall cease to function as Executive Magistrate on their transfer out of this jurisdiction.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

———

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 31, दिसम्बर, 2007

संख्याः आवास–6(एफ)5–4 / 2005–पार्ट–IV.— यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक प्राधिकरण है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मौजा सैन्सीवाला तहसील कसौली जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में आवास वस्ती के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करना अपेक्षित है।

2. अतः एत्द द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्नलिखित विवरणी में विनिर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

3. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–6 के उपबन्धों के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों की सूचना हेतु घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा–7 के उपबन्धों के अधीन भू–अर्जन समाहर्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार शिमला–2 को एत्द द्वारा उक्त भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

4. भूमि का रेखांक समाहर्ता भू–अर्जन अधिकारी, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निगम बिहार शिमला–2 हि0 प्र0 के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नबर	रकवा
सोलन	कसौली	सैन्सीवाला	174	5-3
			176	0-8
			175	5-14
			178	6-9
			178	3-12
			5 किता	3-12

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
प्रघान सचिव।

प्रशासनिक सुधार संगठन

अधिसूचना

शिमला–2 31, दिसम्बर, 2007

सख्याः पी.ई.आर.(ए.आर.) एफ.(7)–2 / 98–वॉल–1.– हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पर .(ए.आर.) एफ.(7)–2 / 98–वॉल–1, तारीख 21 जनवरी, 2006 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21–2–2006 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 में और संशोघन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार (तृतीय संशोधन) नियम, 2007 है।

2. **नियम 3 का संशोधन.–** हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा,

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हो तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है"।

3. **नियम 4 का संशोधन.–** उक्त नियमों के नियम 4 के उप नियम (1) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थातः–

"परन्तु यह कि यदि आवेदक द्वारा लिखित रूप से किए गए अनुरोध में आवश्यक विशिष्टियां दी गई हों तो सूचना के लिए इस आधार पर इन्कार नहीं किया जाएगा कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर नहीं है"।

4. नियम 5 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम(1) में मद सं. 5 में अंक "10" व "15" के स्थान पर अकं क्रमशः "20" व "30" रखा जाएगा।

5. नियम 6 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 6 में, (i) उप नियम (2) में शब्द "चार" के स्थान पर शब्द '"दो" रखा जाएगा, और (ii) उप नियम (3) में खण्ड (ii) का लोप किया जाएगा और विद्यमान खण्डों (iii) और (iv) को क्रमशः खण्ड (ii) और (iii) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा"।

आदेश द्वारा,
एस.विजय कुमार,
प्रधान सचिव।

———

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I dated 31-12-2007 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

ADMINISTRATRIVE REFORMS ORGANIZATION

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006, notified vide this Department notification No.Per (AR) F (7)-2/98.Vol.I dated 21st January 2006 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated 21.2.2006, namely: -

1. *Short title.*— These rules may be called the Himachal Pradesh Right to Information (3rd Amendment) Rules, 2007.

2. *Amendment of rule 3.*— In rule 3 of the Himachal Pradesh Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the "said rules"), after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing".

3. *Amendment of rule 4.*— In rule 4 of the said rules, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the information shall not be refused on the grounds that the application is not in the prescribed form if the necessary particulars have been mentioned by the applicant by a request made in writing".

4. *Amendment of rule 5.*— In rule 5 of the said rules, in sub-rule (1), in item No. 5, for the figures "10" and "15" the figures "20" and "30" respectively shall be substituted.

5. Amendment of rule 6.— In rule 6 of the said rules,

(i) in sub-rule (2), for the word "four", the word "two" shall be substituted; and
(ii) (ii) in sub-rule (3), clause (ii) shall be deleted and the existing clauses (iii) and (iv) shall be re-numbered as clauses (ii) and (iii) respectively.

By order,
S.VIJAY KUMAR,
Principal Secretary.

वहुउद्धेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2007

संख्या : विद्युत.–छ–(5)–20 / 2007.–यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत हेाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा–3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतू नामतः मुहाल होमते, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हि0प्र0 में भावा Augmentation पावर हाऊस **(4.50MW)** के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा–4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा–17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा–5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नही होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू–अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, थिसिल बैंक भवन, शिमला–3 के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (हैक्टेयर)
किन्नौर	निचार	होमते	1063/1	0-05-58

कुल कित्ता–1 कुल रकबा– 0-05-58 हैक्टेयर

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित